स्यामलाल बनाम श्रीमती देवी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
21.07.23	वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मिशल तलबी पेश कर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र मिशल तलबी स्वीकार किया जाकर पत्रावली पूर्व नियत पेशी से तलब होकर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वकील वादी श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 की पहचान श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् के द्वारा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया जाकर सभी पक्षकारान् के आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये। पक्षकारान् के द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाता है। तरतीबी प्रतिवादीगण 21 ता 29 की ओर श्री कानाराम पूनियां एड0 ने ईकबाली जवाब पेश किया। जो शामिल मिशल किया गया।
	प्रकरण में बहस बहुपक्षयीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।
	21/07/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
116/2023	2023/216	20.07.2023	21.07.2023

–:: उनवान ::–

1. सागरमल पुत्र मोठू जाति जाट निवासी ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

–– वादी––

बनाम

1. घीसी देवी पत्नी छोटू
2. गोदाराम पुत्र छोटू
3. शंकरलाल पुत्र छोटू
4. महेन्द्र पुत्र छोटू
5. तीजली पुत्री छोटू
6. गीता पुत्री छोटू
7. पार्वती पुत्री छोटू
8. नाथी देवी पत्नी मंगलचन्द
9. सांवरमल पुत्र बन्नाराम उर्फ बनवारी
10. हरलाल पुत्र बन्नाराम उर्फ बनवारी
11. बीरबल पुत्र बन्नाराम उर्फ बनवारी
12. झिनका पुत्री बन्नाराम उर्फ बनवारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

21/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13. अजीत पुत्र रूड़ाराम
14. झाबरमल पुत्र रूड़ाराम
15. फूलाराम उर्फ फूलचन्द पुत्र रूड़ाराम
16. संज्या देवी पत्नी रूड़ाराम
17. संतोष देवी पुत्री रूड़ाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर

18. पटवारी, पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर
19. पटवारी, पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर
20. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——प्रतिवादीगण ——

21. मुरली देवी पत्नि मोटू
22. भोलाराम पुत्र मोटू
23. बनवारी पुत्र मोटू
24. भगवती देवी पुत्री मोटू
25. सजना देवी पुत्री मोटू
26. बोदी देवी पुत्री मोटू
27. लाडा देवी पुत्री मोटू
28. ग्यारसी देवी पुत्री मोटू
29. सुमित्रा देवी पुत्री मोटू

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——तरतीबी प्रतिवादीगण ——

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:53:08 IST
Reason: SelfAttested

21/07/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।
श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 प्रतिवादीगण अभिभाषक।
श्री कानाराम पूनियां एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–20

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 794, 795, 799 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। जिसमें 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 8 के नाम दर्ज हैं व 1/12 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 9 ता 12 के मृत्तक पिता बनवारी के नाम दर्ज चली आ रही हैं। जिससे बनवारी के पिता का नाम लिछमण गलत दर्ज है जबकि बनवारी के पिता का नाम सुरजा है, जो कि दुरूस्तीनय हैं व 1/84 – 1/84 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के नाम व 1/12 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 17 के ससुर/दादा भगवाना पुत्र लिछमण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं जो कि गलत है व दुरूस्तनीय है। भूमि खसरा नम्बर 320, 323, 324 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

21/07/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 13 ता 15 के नाम 1/54 – 1/54 कुल 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृत्तक पिता/पति के 1/18 हिस्से की व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के मृत्तक पिता मोठू के 1/18 हिस्से की व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ मृत्तक भाना पुत्र रामू जो कि ना औलाद अविवाहित फौत हो चुके है, के नाम 1/18 हिस्से की व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के दादा/ससुर मृत्तक धापली पत्नि रामू के 1/18 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि गलत हैं व दुरूस्तनीय है। भूमि खसरा नम्बर 761, 768, 769, 770 कुल किता 4 कुल रकबा 6.84 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित हैं जिसकी वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 13 ता 15 के नाम 1/54 – 1/54 कुल 1/18 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/126, 1/126 हिस्सा कुल 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 8 के नाम 1/18 हिस्सा व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पति/पति मृत्तक मोठू के नाम 1/18 हिस्सा व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ मृत्तक भाना पुत्र रामू जो कि ना औलाद/अविवाहित फौत हो चुका है, के नाम 1/18 हिस्सा व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की दादी/सास धापली पत्नि रामू के नाम 1/18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं जो कि गलत हैं व दुरूस्तनीय है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1435, 1436, 1437, 1438, 1439 कुल किता 5 कुल रकबा 4.93 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं, जिसकी 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 8 ता 12 के ससुर/दादा मृत्तक सुरजा पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज चली आ रही है जो कि गलत हैं व दुरूस्तनीय हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसकी 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 8 ता 12 के पति/पिता बन्नाराम उर्फ बनवारी पुत्र सुरजा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं जो कि गलत हैं व दुरूस्तनीय हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1329 कुल किता 1 कुल रकबा 3.03 हैक्टर तन् चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसके 1/2 हिससे की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण नम्बर 8 ता 12 के ससुर/दादा मृत्तक सुरजा पुत्र लिछमण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही हैं जो की गलत हैं व दुरूस्तनीय हैं। वादी एंव प्रतिवादीगण एवं तरतीबी पक्षकारान एक ही परिवार खानदान के है। सुरजा पुत्र लिछमण के पुत्र मंगला के फौत हो जाने पर मंगला की पत्नी नाथीदेवी, सुरजा पुत्र लिछमण के गोदपुत्र बन्नाराम उर्फ बनवारी के नाते चली गयी थी जिससे नाथी व बन्नाराम उर्फ बनवारी की संताने प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 12 है। वादी व प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पुर्वजो के समय

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

से ही शामलाती हिन्दू परिवार में रहते हैं तथा सुरजा पुत्र लिछमण ज्येष्ठ पुत्र होने से परिवार में कर्ता खानदान था जिस कारण से समस्त भूमियां सुरजा पुत्र लिछमण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुयी है जबकि मौके पर सुरजा पुत्र लिछमण के सभी भाईयो का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में उनके वारिसान मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमियो को कब्जे काश्त के अनुसार आपसी बांट रखा है। जिसके अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 794, 795, 799 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71 हैक्टर पर वादी एंव तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 का 1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 का 1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं व प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 का भी 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा उपरोक्त वर्णित भूमियों पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ भाना पुत्र रामू के अविवाहित फौत हो जाने व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की दादी/सास धापली देवी पत्नी रामू का स्वर्गवास हो जाने से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 व 23 – 1/6 हिस्से पर व प्रतिवादी नम्बर 13 ता 15 – 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है व उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ भाना पुत्र रामू के अविवाहित फौत हो जाने व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की दादी/सासु धापली पत्नि रामू का स्वर्गवास हो जाने से उक्त भूमि पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 व 23 – 1/9

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्से पर व प्रतिवादी नम्बर 13 ता 15 – 2/9 हिस्से पर काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, कुल किता 5 कुल रकबा 4.93 हैक्टर तन् चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर में वादी एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 का 1/6 हिस्सा पर कब्जा काश्त हैं एवं प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 का 1/6 हिस्सा पर कब्जा काश्त हैं व प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 का 1/6 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पर वादी एंव तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 का 1/18 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 का 1/18 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं व प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 का 1/18 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1329 कुल किता 1 कुल रकबा 3.03 हैक्टर तन् चीपलाटा पर प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 का 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं व प्रतिवादी नम्बर 9 ता 11 का 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादी एवं तरतीबी पक्षकारान उपरोक्तानुसार उक्त भूमि पर [illegible] बुजुर्गान से तन्हा रूप से बिना किसी बाधा व [illegible] के प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त कर [illegible] भी वादी एवं तरतीबी पक्षकारान कानूनन उक्त भूमि के उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार हो चुके है ओर उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

7

दिलीप सिंह
सहा[illegible]क्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादी एंव तरतीबी पक्षकारान कानूनन अधिकारी है। वादी एवं तरतीबी पक्षकारान वक्त बुजुर्गान अर्थात पिता/दादा के समय से लगातार इस भूमि पर काबिज काश्त होने से उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है अर्थात वादी अपने उक्त अधिकारो की घोषणा बाबत यह दावा प्रस्तुत कर रहे है, क्योंकि उक्त भूमि पर उपरोक्त वादी एवं तरतीबी पक्षकारान वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त है अर्थात इस भूमि पर वादी एवं तरतीबी पक्षकारान को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और उक्त अधिकारो की घोषणा किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है क्योंकि उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा के अभाव में वादी एवं तरतीबी पक्षकारान अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो रहे है। जिसके बाबत वादी एंव तरतीबी पक्षकारान को सख्त हकतल्फी है तथा वादी एवं तरतीबी पक्षकारान उक्त घोषणा के अभाव में वक्त बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहे है तथा समय–समय पर भू–धारको को मिलने वाली राजकीय सहायताओ से भी वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार वंचित हो रहे है। वादी एवं तरतीबी पक्षकारान के [illegible] उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवाने के [illegible] कहते रहे व वादी एवं तरतीबी पक्षकारान को प्रतिवादीगण [illegible] उनकी उक्त भूमियों की खातेदारी उपरोक्तानुसार वादी एवं तरतीबी पक्षकारान के नाम करवाने का काफी समय से आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

दिलीपसिंह
सहा. कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

15.07.2023 को प्रतिवादीगण ने वादी एवं तरतीबी पक्षकारान की उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम करवाने से स्पष्ट मना कर दिया व वादी एवं तरतीबी पक्षकारान के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये, यही वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ। जमीनों की बढ़ती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण के मन में बेइमानी आ गई है एवं प्रतिवादीगण, वादी एवं तरतीबी पक्षकारान के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये हैं व आये दिन भूमाफिया व्यक्तियों को उक्त भूमि को बेचान करने के लिए लाते हैं एवं प्रतिवादीगण, वादी एवं तरतीबी पक्षकारान को उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में हैं व वादी एवं तरतीबी पक्षकारान को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे हैं इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित होगा। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 794, 795, 799 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 को 1/6 हिस्से का व प्रतिवा[illegible] को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 9 [illegible] हिस्से का काबिज खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 12 के पिता बनवारी पुत्र लिछमण जिसका सही नाम बनवारी पुत्र सुरजा का नाम व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

नम्बर 13 ता 17 के दादा/ससुर भगवाना पुत्र लिछमण का नाम भी राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे व प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम भी हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। भूमि खसरा नम्बर 320, 323, 324 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 व 23 को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 15 को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के मृत्तक पति/पिता छोटू पुत्र लिछमण नाम व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ मृत्तक भाना पुत्र रामू का नाम व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की सास/दादी धापली पत्नि रामू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। भूमि खसरा नम्बर 761, 768, 769, 770 कुल किता 4 कुल रकबा 6.84 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 व 23 को 1/9 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 13 ता 15 को 2/9 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 का नाम व प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ मृत्तक भाना पुत्र रामू का नाम व वादी एवं तरतीबी प्रतिवदीगण की सास/दादी मृत्तका धापली पत्नि रामू

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1435, 1436, 1437, 1438, 1439 कुल किता 5 कुल रकबा 4.93 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण/मृत्तक सुरजा पुत्र लिछमण का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 को 1/18 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/18 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 9 ता 11 को 1/18 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से मृत्तक बन्नाराम [illegible] हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दु[illegible] भूमि खसरा नम्बर 1329 कुल किता 1 कुल रकबा 3.03 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/4 हिस्से का व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से मृतक बन्नाराम पुत्र सुरजाराम का नाम हजाफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 ता 29 की ओर से वकील श्री कानाराम पूनियां एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 की पहचान श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील तरतीबी प्रतिवादीगण ने तरतीबी प्रतिवादी [illegible]1 ता 29 की ओर से लिखितशुदा ईकबालिया [illegible] वादपत्र अनुसार डिक्री फरमाये जाने बाबत प्रस्तुत किये जा[illegible]र शामिल पत्रावली किया एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 ता 29 की पहचान [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इन्तजार कर की। प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 की तामिल रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने वादपत्र का राजीनामा अनुसार निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी समझौता/राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, छ. जमाबंदी, राजीनामा, लिखितशुदा ईकबालिया जवाब दावा, आधार कार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियां की खातेदारी पक्षकारान वादी, प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व उनके बुर्जुगान के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा उक्त भूमि वादी, प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि होना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के राजीनामे एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के ईकबाली जवाब से पक्षकारान के मध्य हुये आपसी समझौते/राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 794, 795, 799 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71 हैक्टर तन ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जि[illegible] (राज0) का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान न[illegible] 1/6 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/6 हिस्से का का[illegible]ज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 12 के पिता बनवारी पुत्र लिछमण जिसका सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

बनवारी पुत्र सुरजा का नाम व प्रतिवादी नम्बर 13 ता 17 के दादा/ससुर भगवाना पुत्र लिछमण का नाम भी राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे व प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम भी हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। भूमि खसरा नम्बर 320, 323, 324 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 व 23 को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 15 को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के मृत्तक पति/पिता छोटू पुत्र लिछमण नाम व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ मृत्तक भाना पुत्र रामू का नाम व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की सास/दादी धापली पत्नि रामू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। भूमि खसरा नम्बर 761, 768, 769, 770 कुल किता 4 कुल रकबा 6.84 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 व 23 को 1/9 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 13 ता 15 को 2/9 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 का नाम व प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ मृत्तक भाना पुत्र रामू का नाम व वादी एंव तरतीबी प्रतिावदीगण की सास/दादी मृत्तका धापली पत्नि रामू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1435, 1436, 1437, 1438, 1439 कुल किता 5 कुल रकबा 4.93 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण/मृत्तक सुरजा पुत्र लिछमण का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 को 1/18 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/18 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 9 ता 11 को 1/18 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से मृत्तक बन्नाराम पुत्र सुरजाराम का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1329 कुल किता 1 कुल रकबा 3.03 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से मृत्तक बन्नाराम पुत्र सुरजाराम का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार [illegible] है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि [illegible] 799 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71 हैक्टर तन् ग्राम क[illegible]का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खातेदारान नम्बर 22 व 23 को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 12 के पिता बनवारी पुत्र लिछमण जिसका सही नाम बनवारी पुत्र सुरजा का नाम व प्रतिवादी नम्बर 13 ता 17 के दादा/ससुर भगवाना पुत्र लिछमण का नाम भी राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे व प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम भी हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। भूमि खसरा नम्बर 320, 323, 324 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 व 23 को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 15 को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के मृत्तक पति/पिता छोटू पुत्र लिछमण नाम व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ मृत्तक भाना पुत्र रामू का नाम व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की सास/दादी धापली पत्नि रामू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। भूमि खसरा नम्बर 761, 768, 769, 770 कुल किता 4 कुल रकबा 6.8 हैक्टर तन् ग्राम करडका पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 22 व 23 को 1/9 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

21/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13 ता 15 को 2/9 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 का नाम व प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम व वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के जेठ/ताऊ मृत्तक भाना पुत्र रामू का नाम व वादी एवं तरतीबी प्रतिवदीगण की सास/दादी मृत्तका धापली पत्नि रामू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1435, 1436, 1437, 1438, 1439 कुल किता 5 कुल रकबा 4.93 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण/मृत्तक सुरजा पुत्र लिछमण का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 22 व 23 को 1/18 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/18 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 9 ता 11 को 1/18 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:43:08 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड से मृत्तक बन्नाराम पुत्र सुरजाराम का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1329 कुल किता 1 कुल रकबा 3.03 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से मृत्तक बन्नाराम पुत्र सुरजाराम का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

21/07/23
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/07/23
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:30
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर